

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या- 38/2018/952 /दो-2-2018-28/2(1)/2018
लखनऊ: दिनांक: 02 अप्रैल, 2018
आदेश

श्री चुनकू राम, पी0सी0एस0-1997 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-70721 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री चुनकू राम, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-19/मितान डायरी-472/97591/111011, दिनांक 06-02-2018 के अनुसार वर्ष 2015-2016 तक कुल जमा धनराशि रू0-31,88,556/- (रू0-इकत्तीस लाख अटठासी हजार पांच सौ छप्पन मात्र) जिसमें माह 3/16 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-28,69,700.04 अर्थात रू0-28,69,700.00 (रूपये अटठाईस लाख उनहत्तर हजार सात सौ मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री चुनकू राम के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, फैजाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री चुनकू राम, पी0सी0एस0, तत्कालीन उपाध्यक्ष, फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फैजाबाद।
- 4- श्री चुनकू राम, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-वी-19, लैन्डक्राफ्ट गोल्फ लिंक सोसाइटी, एन0एच0-24, निकट कालम्बिया एशिया हास्पिटल, गाजियाबाद।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।